उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : 43865

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : कुशला नन्द, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री अनिल मोहन सेमवाल कैलाशपुर नियर स्टेड़ियम शिमला बाईपास रोड़ देहरादून।

बनाम

प्रत्युत्तरदाता : 1. लोक सूचना अधिकारी/ थानाध्यक्ष, कोतवाली श्री बद्रीनाथ, जिला चमोली।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/ क्षेत्राधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जिला चमोली।

आदेश

आज द्वितीय अपील की सुनवाई में अपीलार्थी उपस्थित नही है। आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस डाक विभाग की टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हुआ कि *''प्राप्तकर्ता का पता नही चला।'* लोक सूचना अधिकारी की ओर से हे.का. अजय कुमार एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से हे.का. पंकज कुमार उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का लिखित अभिकथन प्राप्त हुआ, जिसे सुनवायी के समय परीक्षण कर पत्रावली का भाग बनाया गया।

2. अपीलार्थी द्वारा मूल अनुरोध पत्र दिनांकित 05.06.2025 के माध्यम से 06 बिन्दुओं पर लोक सूचना अधिकारी/ पुलिस अधीक्षक कार्यालय गोपेश्वर, जनपद चमोली से सूचना की मांग की गयी।

AS

3. लोक सूचना अधिकारी / पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा दिनांक 16.06.2025 के माध्यम से अपीलार्थी का अनुरोध पत्र धारा 6(3) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी/ थानाध्यक्ष, कोतवाली, श्री बद्रीनाथ, जनपद चमोली को अंतरित किया गया।

4. लोक सूचना अधिकारी/ थानाध्यक्ष, कोतवाली बद्रीनाथ जनपद चमोली द्वारा अनुरोध पत्र के सापेक्ष दिनांक 09/07/2025 को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करायी गयी।

5. लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 02.08.2025 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। जिसका निस्तारण प्रथम विभागीय अपीलीय द्वारा दिनांक 25/09/2025 को इन निर्देशों के साथ किया गया कि उपरोक्त बिंदुओं के क्रम में सम्बन्धित सूचनाओं का पुनः परीक्षण कर लें, एवं माननीय न्यायालय से पत्राचार कर प्राप्त आख्यानुसार दस्तावेजों को प्राप्त करने सम्बन्धी प्रक्रिया से आवेदक को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

6. प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होने पर अपीलकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से द्वितीय अपील योजित की गयी जो आयोग में दिनांक 24.10.2025 को प्राप्त एवं पंजीकृत हुई है।

7. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली का परीक्षण किया गया एवं उपस्थित पक्ष के मौखिक कथनों को सुना गया। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25/09/2025 में दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 07/10/2025 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय चमोली से प्राप्त आख्या अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गयी। साक्ष्य

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून सत्यमेव जयते

AS

के रूप में लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा मा0 न्यायालय से किये गये पत्राचार एवं अपीलार्थी को सम्बोधित पत्र की प्रति अवलोकित करायी, किंतु सूचना प्रेषण सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। जिससे यह स्पष्ट नही हो रहा है कि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई गई अथवा नही?

8. आज सुनवाई के समय अनुरोध पत्र में चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में चर्चा करने पर स्पष्ट हुआ कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु संख्या 3, 4, 5 व 6 में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई गई कि माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। जबकि आज उपस्थित लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि से पृछा करने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत प्रकरण में जांच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से आयोग सहमत नही है, यदि प्रकरण मा0 न्यायालय में गतिमान है सूचना उपलब्ध कराये जाने से जांच प्रभावित हो सकती है तो उस स्थिति में सूचना उपलब्ध नही करायी जायेगी किंतु यदि जांच पूर्ण हो चुकी है तो मा0 न्यायालय से सम्बन्धित होने पर सूचना अधिकार के तहत सूचना को रोक नही सकते। प्रकरण मा. न्यायालय से सम्बन्धित होना सूचना अधिकार में कहीं आड़े नही आता।

धारा 8(1)(b) और 8(1)(h) में स्पष्ट किया गया है कि:–

- 8(1)(b) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है ;
- 8(1)(h) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की किया में अड़चन पड़ेगी;

AS

उपरोक्त धारा 8(1)(b) और 8(1)(h) में कहीं ऐसा नही लिखा गया है कि प्रकरण मा0 न्यायालय से सम्बन्धित होने के कारण सूचना उपलब्ध नही कराई जायेगी।

अतः सूचना अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही से आयोग सहमत नही है। भविष्य के लिए लोक सूचना अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि मा. न्यायालय का बहाना बनाकर सूचना अधिकार में बाधक न बने।

9. चूंकि उक्त प्रकरण में प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन लोक सूचना अधिकारी द्वारा नही किया गया है अतः वर्णित स्थिति में लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25/09/2025 के सापेक्ष जो भी कार्यवाही की गई के सम्बन्ध में अपीलार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायेंगे।

प्रस्तुत द्वितीय अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(कुशला नन्द)
राज्य सूचना आयुक्त

दिनांक : 28.01.2026

AS